न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

जमानत आवेदन संख्या–271/2026

(बेलदौर थाना काण्ड संख्या 11/2026)

मो0 इरफान – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

17.04.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **मो0 इरफान** जो बेलदौर थाना काण्ड संख्या 11/2026, धारा 191(2),191(3),190,308(5),352,351(2), 351(3) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दिनांक 13.02.2026 से कारा अभिरक्षा में है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उसके विद्वान अधिवक्ता श्री शिव शंकर यादव एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेश दास को सुना। मूल अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया कि आवेदक कोई अन्य जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 13.02.2026 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को ग्रामीण राजनीति एवं जमीन विवाद के दुश्मनी के कारण इस वाद में संलिप्त किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ठ आरोप नहीं है। धारा 308(5) बी0एन0एस0 का आरोप आवेदक के विरूद्ध नहीं बनता है तथा अन्य आरोपित धारायें जमानतीय है। सह–अभियुक्त मो0 अख्तर के द्वारा दर्ज कराये गये बेलदौर थाना काण्ड संख्या 148/25 का यह पलटा वाद है। उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुना अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक के पिता मो0 रसुल मियाँ के नाम से दिघौन मौजा में खाता संख्या 224, 225, खेसरा संख्या 2287/3048, 2289/3095, रकवा 02 बीघा 15 कट्ठा जमीन है जिसका जमाबंदी नम्बर 2765 है। उक्त जमीन का विवाद निपटारा का निष्पादन दिनांक 19.11.2022 को बेलदौर अंचलाधिकारी द्वारा किया गया था जो उसके पक्ष में जजमेंट दिया गया है। उक्त जमीन में गेहूँ का फसल लगा था जिस पर आरोपित रोक लगा दिया, जिस पर अंचल अमीन के जाँच रिपोर्ट के बाद एस0डी0ओ0 गोगरी ने उसके पक्ष में आदेश देते हुये प्रशासन की प्रतिनियुक्ति कर गेहूँ कटवा कर उसे दिया था। उसके बाद द्वितीय पक्ष ने 10 लाख रूपया की रंगदारी की धमकी देते हुये कहा जब तक रंगदारी की रकम नहीं दोगे तब तक जमीन जोतने नहीं देंगे एवं दिनांक 09.01.2026 को समय करीब 01.30 बजे दिन में 1. मो0 तसलीम, 2. मो0 इरशाद, 3. मो0 सज्जाद, 4. मो0 नौसाद,

17-4-26

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
जमानत आवेदन संख्या–271/2026
(बेलदौर थाना काण्ड संख्या 11/2026)
मो0 इरफान – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

<u>लगातार,पेज–2</u>
17.04.2026

5. मो0 समसो, 6. मो0 छोटू, 7. मो0 अख्तर, 8. मो0 इरफान पे0 मो0 मोकिम सभी एकमत होकर हथियार से लैस होकर उसके उक्त जमीन को जोत रहे थे, जिसका विरोध किया तो कम संख्या 2, 7, 8 ने उस पर जान मारने की नियत से फायरिंग कर दिया, जिससे वह बाल–बाल अपना जान बचाकर भागा। ये तीनों पेशेवर अपराधी हैं जिनका कई थाना में अपराधिक इतिहास रहा है। मो0 अख्तर द्वारा मेरे मोबाईल पर फोन करके जान से मारने की धमकी भी दिया जिसका रिकॉर्डिंग है।

5. अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक से दस लाख रुपया रंगदारी की मांग करने तथा सूचक के पिता के नाम की जमीन को हथियार से लैस होकर जोतवाने, जिसका विरोध करने पर जान मारने के नियत से सूचक के उपर फायरिंग करने का आरोप है। किसी को कोई मारपीट या किसी तरह का जख्म कारित नहीं हुआ है। आवेदक के विरूद्ध घटना को सत्य पाकर आरोप–पत्र संख्या 98/26 समर्पित किया गया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका 65 में आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं होना पाया गया है। प्राथमिकी से ही स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच जमीन का विवाद है। सह–अभियुक्त मो0 अख्तर के द्वारा भी पूर्व सूचक वगैरह के विरूद्ध मकई का फसल लूट लेने एवं रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुये बेलदौर थाना काण्ड संख्या 148/2025 दर्ज कराया गया है। उभय पक्षों के बीच जमीन का विवाद परीलक्षित है तथा दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसर के उपर केस दर्ज कराया गया है। आवेदक दिनांक 13.02.2026 से इस वाद में कारा अभिरक्षा में है।

6. उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितिया एवं आवेदक के कारा अवधि को देखते हुये उसके जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है तथा मो0 10,000/–(दस हजार) रूपये के दो जमानतदारों का बंधपत्र दाखिल करने एवं विद्वान संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। **आवेदक भविष्य में पुनः ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।**

(लेखापित एवं शुद्धित)
17-4-26
~~अपर सत्र न्याया~~धीश द्वितीय,
खगड़िया।

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

जमानत आवेदन संख्या–271/2026

(बेलदौर थाना काण्ड संख्या 11/2026)

मो0 इरफान – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

Date of Judgment/Order	17-04-2026
Date of Reserving judgment/Order	——
Uploading Date	20.04.26
Uploaded by	Nitish Kumar (D.E.O)